दूरभाष 27565416
27572705
फैक्स 27565417

संख्या : उनि(प.)/टं.आ./प्रशि./गठन/2014-15/7860 से 8259

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
Ministry of Home Affairs, Department of Official Language
हिंदी शिक्षण योजना/Hindi Teaching Scheme

उप निदेशक (पश्चिम) का कार्यालय
Office of the Deputy Director (West)

601, छठी मंजिल, सी विंग, केंद्रीय सदन/601, 6th Floor, C-Wing, Kendriya Sadan,
सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई/Sector-10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

5952
19/12/2014

दिनांक/Date : 02 दिसंबर, 2014

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी),
राजभाषा अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक (रा.भा.),
महाप्रबंधक, प्रबंधक (रा.भा.), भारत सरकार के विभाग,
कार्यालय/उपक्रम/निगम/सवायत्त निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक, मुंबई/नवी मुंबई.

विषय : हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर) एवं हिंदी आशुलिपि की दीर्घकालिक प्रशिक्षण की नई कक्षाओं का गठन- फरवरी, 2015

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत मुंबई स्थित हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र में हिंदी शब्द संसाधन एवं हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक प्रशिक्षण का अगला सत्र फरवरी, 2015 में प्रारंभ होगा। कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 13 फरवरी, 2015 को दिया जाएगा तथा सभी नियमित कक्षाएं दिनांक 16 फरवरी, 2015 से चलेंगी।

चूंकि वर्ष 2015 तक हिंदी शब्द संसाधन एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर कक्षाओं में प्रवेश सुनिश्चित करें। कृपया इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध, अधीनस्थ एवं शाखा कार्यालयों में भी परिचालित करें।

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी :-

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	(16 फरवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक) 1 घंटा प्रतिदिन	जुलाई के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह	*अनिवार्य*-- सभी वर्गों के अंग्रेजी के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों, वरिष्ठ निजी सचिवों हेतु *स्वैच्छिक*-- अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों हेतु *	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि

* हिंदी शब्द संसाधन जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है। कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते संबंधित कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के प्रोत्साहन भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे।

हिंदी शब्द संसाधन प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी :--

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर)	(16 फरवरी, 2015 से जुलाई, 2015 तक) 1 घंटा प्रतिदिन	जुलाई के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह	*अनिवार्य--* सभी अंग्रेजी टंककों/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों, कार्यालय सहायकों रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं आयकर विभाग में कर सहायकों, विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि, इसके अतिरिक्त ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी, जो इसी प्रकृति के कार्य करते हैं, भले ही उनके पदनाम और वेतनमान भिन्न हों। *स्वैच्छिक--* 1. वर्तमान में सहायकों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, परंतु इन्हें हिंदी शब्द संसाधन की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है। कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को हिंदी में शब्द संसाधन के प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है। परंतु, ऐसे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी में शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद या एकमुश्त पुरस्कार) पाने के हकदार नहीं होंगे।	हिंदी के साथ मिडिल या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि

नोट करें :

1. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नामित करने वाले सक्षम अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रशिक्षण हेतु नामित किये जा रहे कर्मचारी पूर्व में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई में हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण कंप्यूटर पर यूनिकोड इनकोडिंग विधि से सिर्फ इंस्क्रिप्ट (इंडियन स्क्रिप्ट) ले-आउट में दिया जाता है।

3. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे अगले प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय प्रोत्साहन : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है, जिसका भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(1) वैयक्तिक वेतन-- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 01 वर्ष की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान किया जाएगा, परंतु जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(2) वास्तविक मार्ग व्यय-- कार्यालय से प्रशिक्षण केंद्र तक जाने के लिए/प्रशिक्षण केंद्र से वापस कार्यालय तक आने के लिए 1.6 कि.मी. अथवा उससे अधिक की दूरी होने पर वास्तविक मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, यह व्यवस्था व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से की गई है।

(ग) नकद पुरस्कार--

हिंदी आशुलिपि		
1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/- रुपए
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/- रुपए
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- रुपए
हिंदी शब्द संसाधन		
1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/- रुपए
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/- रुपए
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- रुपए

परीक्षा शुल्क :

- केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, निगमों, निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन तथा हिंदी आशुलिपि के लिए ` 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को किया जाना है, जो नई दिल्ली में भुगतेय होगा।

नामांकन प्रपत्र :

- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में किया जाए, जिसमें नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी दर्शाई जाए।

नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र

31.01.2015 को हिंदी शब्द संसाधन/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या		वर्तमान सत्र में नामित कर्मचारियों की संख्या		कर्मचारियों के नाम	पदनाम	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन	आशुलिपि	हिंदी शब्द संसाधन	आशुलिपि			
1	2	3	4	5	6	7

नामित करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर

नामांकन विधि :--

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे, नामांकन हेतु पृष्ठ संख्या 3 पर दिए गए निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दें।
- नामांकन पत्र की एक प्रति प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टं/आ), हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई को भी प्रेषित करें।
- इस पत्र के अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारियों के लिए अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा, अतः नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण केंद्र पर, निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर संपर्क करना होगा।
- प्रवेश के उपरांत केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टं/आ) द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे कर्मचारी अपने कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे ताकि प्रवेश न लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ समय पर यथोचित कार्रवाई की जा सके।
- प्रशिक्षणार्थी को कक्षा में दाखिला हेतु श्री वीरभद्र सोनी, सहायक निदेशक (टं/आ), हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई को दिनांक 13 फरवरी, 2015 को रिपोर्ट करेंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 तक चलेगी। कक्षाओं में प्रवेश "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर दिया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र का पता एवं कक्षाओं का विवरण इस प्रकार हैं :--

प्रशिक्षण केंद्र का पता	सहायक निदेशक (टं/आ) का नाम एवं फोन नंबर	पाठ्यक्रम का समय
हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई जीपीओ, 5वां माला, एनेक्स भवन, पी.डि'मेलो रोड, मुंबई-400001. *(छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के निकट)*	श्री वीरभद्र सोनी फोन नंबर : 2261 1539 ई-मेल : v.b.soni@gmail.com	हिंदी आशुलिपि (नया बैच) 10.30 से 11.30 पूर्वाह्न
		हिंदी शब्द संसाधन (प्रथम बैच) 12.00 से 01.00 बजे अपराह्न
		हिंदी शब्द संसाधन (द्वितीय बैच) 2.00 से 3.00 बजे अपराह्न
		हिंदी शब्ध संसाधन (तृतीय बैच) 03.00 से 04.00 बजे अपराह्न
		हिंदी आशुलिपि (पुराना बैच) 04.00 से 05.00 अपराह्न

सक्षम अधिकारी कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कर्मचारियों को अन्य किसी प्रशिक्षण में नामित न करें, यथासंभव लंबी छुट्टी पर न जाने दें तथा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण भी न करें ताकि प्रशिक्षण कार्य पर होने वाला व्यय व्यर्थ न जाए।

भवदीय,
(दिनेश चंद्र)
सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (टं/आ), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई।
6. सहायक निदेशक (टं/आ) एवं नोडल अधिकारी, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
7. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय सरकारी कार्यालय, उपक्रम, बैंक) मुंबई/नवी मुंबई।